

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री प्रवीण अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रामगढ अलवर से **मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, अलवर** में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रवीण अग्रवाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री प्रवीण अग्रवाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री प्रवीण अग्रवाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री प्रवीण अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री प्रवीण अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/243)
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 09.02.18

- 1 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रामगढ अलवर
- 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), पंचायती राज विभाग, अलवर।
- 3 श्री प्रवीण अग्रवाल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रामगढ अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री बृजेन्द्र अवस्थी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजगढ़ से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजगढ़, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बृजेन्द्र अवस्थी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री बृजेन्द्र अवस्थी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री बृजेन्द्र अवस्थी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री बृजेन्द्र अवस्थी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री बृजेन्द्र अवस्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजगढ़

2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजगढ़, अलवर।

3 श्री बृजेन्द्र अवस्थी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजगढ़।


(अरविन्द धान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री महेश कुमार भाटिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), शिक्षा विभाग (माध्यमिक), अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेश कुमार भाटिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री महेश कुमार भाटिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री महेश कुमार भाटिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री महेश कुमार भाटिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री महेश कुमार भाटिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक: 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), शिक्षा विभाग (माध्यमिक), अलवर।
- 3 श्री महेश कुमार भाटिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रमेश सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश सिंह चौहान द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रमेश सिंह चौहान को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रमेश सिंह चौहान को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रमेश सिंह चौहान नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रमेश सिंह चौहान को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 01/2/2018

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।

2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, अलवर।

3 श्री रमेश सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेश कुमार सोनी , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़ से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), रामगढ़, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश कुमार सोनी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री राजेश कुमार सोनी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजेश कुमार सोनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजेश कुमार सोनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार सोनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 9.2.2018

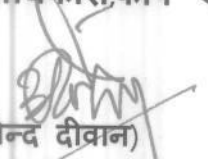
क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़।

2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), रामगढ़, अलवर।

3 श्री राजेश कुमार सोनी , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विमल कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर से जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), शिक्षा विभाग (माध्यमिक), अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विमल कुमार शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री विमल कुमार शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विमल कुमार शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विमल कुमार शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विमल कुमार शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

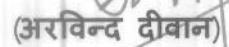
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/243

दिनांक:- 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), शिक्षा विभाग (माध्यमिक), अलवर।
- 3 श्री विमल कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

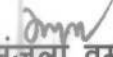
दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मुण्डावर, अलवर से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुण्डावर, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संजय कुमार गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री संजय कुमार गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री संजय कुमार गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संजय कुमार गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संजय कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

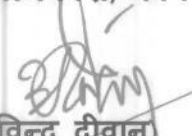

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक: 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

- 1 उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मुण्डावर, अलवर।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुण्डावर अलवर।
- 3 श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मुण्डावर अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री श्रवण कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण **खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अलवर** से **कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर** में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्रवण कुमार गोयल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री श्रवण कुमार गोयल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री श्रवण कुमार गोयल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री श्रवण कुमार गोयल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री श्रवण कुमार गोयल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

1 खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अलवर।

2 कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अलवर।

3 श्री श्रवण कुमार गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय **खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अलवर**।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अजय दत्त माथुर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (सचिवालय) कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर से महानिदेशक गृह रक्षा , गृह विभाग , जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अजय दत्त माथुर द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अजय दत्त माथुर को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अजय दत्त माथुर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अजय दत्त माथुर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अजय दत्त माथुर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/1431

दिनांक:- 9.2.2018

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (सचिवालय) , कोष एवं लेखा विभाग , जयपुर।

2 महानिदेशक गृह रक्षा , गृह विभाग , जयपुर।

3 श्री अजय दत्त माथुर , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग , जयपुर।


(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री ओम प्रकाश जांगिड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी (शहर) , कोष एवं लेखा विभाग , उदयपुर से आयुक्त , जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग , उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ओम प्रकाश जांगिड द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री ओम प्रकाश जांगिड को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री ओम प्रकाश जांगिड को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री ओम प्रकाश जांगिड नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री ओम प्रकाश जांगिड को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09.02.2018

प्रतिलिपि:-

1 कोषाधिकारी (शहर) , कोष एवं लेखा विभाग , उदयपुर।

2 आयुक्त , जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग , उदयपुर।

3 श्री ओम प्रकाश जांगिड , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय कोषाधिकारी (शहर) , कोष एवं लेखा विभाग , उदयपुर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक:-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री जयशंकर शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप कोषाधिकारी .कोष एवं लेखा विभाग .सलूमबर से विकास अधिकारी . पंचायत समिति . सलूमबर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जयशंकर शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री जयशंकर शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री जयशंकर शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जयशंकर शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जयशंकर शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 9.2.2018

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/४५३

प्रतिलिपि:-

1 उप कोषाधिकारी , कोष एवं लेखा विभाग , सलूमबर।

2 विकास अधिकारी , पंचायत समिति, सलूमबर।

3 श्री जयशंकर शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी , कोष एवं लेखा विभाग , सलूमबर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री मनोज कुमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, अलवर से उप कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग रामगढ़ उप कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग रामगढ़ में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मनोज कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री मनोज कुमार को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री मनोज कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मनोज कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री मनोज कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, अलवर
- 2 उप कोषाधिकारी कोष एवं लेखा विभाग, रामगढ़।
- 3 श्री मनोज कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पंचायती राज विभाग, अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गंगाराम सोकरिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से आयुक्त, भू-प्रबन्धक विभाग, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सोकरिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सोकरिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गंगाराम सोकरिया तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सोकरिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गंगाराम सोकरिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

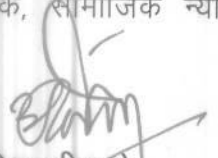

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, भू-प्रबन्धक विभाग, जयपुर।
3. श्री गंगाराम सोकरिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

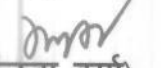
दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अरूण कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं गोविन्दगढ़ से उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, चोमू में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री अरूण कुमार मिश्रा को निदेशालय की वेबसाइट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अरूण कुमार मिश्रा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 09.02.2018** **मध्याह्न पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अरूण कुमार मिश्रा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अरूण कुमार मिश्रा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

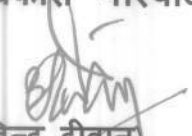

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, गोविन्दगढ़।
- 2 उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, चोमू।
- 3 श्री अरूण कुमार मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, गोविन्दगढ़।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री रामानन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुण्डावर से उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मुण्डावर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामानन्द द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के संबंध में श्री रामानन्दको निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री रामानन्द को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्यान्ह पश्चात एतद द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री रामानन्द नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री रामानन्द को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने संबंधी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के संबंध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र / ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक: एफ-3/ख/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2431

दिनांक:- 09-02-18

प्रतिलिपि:-

- 1 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुण्डावर।
- 2 उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, मुण्डावर।
- 3 श्री रामानन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुण्डावर।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2431

दिनांक- 09-02-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कमलेश कुमार चौहान , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, कोटा से अधीक्षक, एमबीएस चिकित्सालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, कोटा किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चौहान द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री चौहान निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री चौहान तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 09.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री चौहान नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री चौहान को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2431

दिनांक- 09-02-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 अधीक्षक, एमबीएस चिकित्सालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, कोटा ।
- 3 श्री कमलेश कुमार चौहान , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, कोटा ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)